वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास

[स्रोत: पी.आई.बी](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **केंद्रीय मंत्रिमंडल** की मंज़ूरी के साथ वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास (IDWH) की केंद्र प्रायोजित योजना को 15वें वित्त आयोग **(वर्ष 2021-2026)** के लिये बढ़ा दिया गया है।

IDWH के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **परिचय:** इसका उद्देश्य संपूर्ण भारत में वन्यजीव पर्यावासों के **संरक्षण एवं प्रबंधन में वृद्धि** करना शामिल है।
  - इसमें **पर्यावास पुनर्स्थापन,** संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी एवं **मानव-वन्यजीव संघर्षों** के समाधान जैसी विभिन्न गतिविधियाँ भी शामिल हैं।
- **योजना के घटक** :
  - संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यान,वन्यजीव अभयारण्य,संरक्षण रिज़र्व और सामुदायिक रिज़र्व) को समर्थन।
  - **संरक्षित क्षेत्रों के बाहर** वन्यजीवों का संरक्षण।
  - गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों **तथा उनके पर्यावासों को** बचाने के लिये पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम।
- **IDWH के उपघटक:**
  - प्रोजेक्ट टाइगर**: इसे भारत में वर्ष 1973** में शुरू किया गया था जिसका प्राथमिक उद्देश्य बाघों की आबादी को उनके प्राकृतिक पर्यावासों में **संरक्षित करना और विलुप्त** होने से बचाना था।
  - प्रोजेक्ट एलीफेंट **:** इसे **वर्ष 1992 में** हाथियों की **पर्यावासों में हो रही कमी तथा अवैध शिकार** के कारण हो रही गिरावट को रोकने के लिये शुरू किया गया था।
  - **वन्यजीव पर्यावास का विकास:** जैवविविधता और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिये, यह पर्यावासों के विकास एवं सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है।
    - प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट लायन इसके उपघटक के अंतर्गत हैं।
- **कीस्टोन प्रजातियों का संरक्षण**: यह योजना कीस्टोन प्रजातियों जैसे **बाघ,हाथी,चीता** तथा **शेरों** के संरक्षण पर केंद्रित है,जो पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के संकेतक हैं।
  - यह **वन्यजीव पर्यावास घटक के विकास** के अंतर्गत प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के तहत पहचानी गई कम-ज्ञात प्रजातियों का भी समर्थन करता है।
    - गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों/पारिस्थितिकी तंत्रों को बचाने के लिये **16 स्थलीय और 6 जलीय प्रजातियों की पहचान** की गई है।

IUCN स्थिति	प्रजातियाँ
गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered)	ग्रेट इंडियन बस्टर्ड,हंगुल, जेरडॉन्स कॉर्सर,मालाबार सिवेट,नॉर्दर्न रिवर टेरापिन
संकटग्रस्त(Endangered)	एशियाई जंगली भैंसा,ब्रो एंटलर्ड हिरण (संगई),गंगा नदी डॉल्फिन,नीलगिरि तहर, अरब सागर हंपबैक व्हेल, रेड पांडा
सुभेद्य(Vulnerable)	एशियाई शेर,डुगोंग,भारतीय गैंडा या एक सींग वाला गैंडा,निकोबार मेगापोड,हिम तेंदुआ, दलदली हिरण,क्लाउडेड तेंदुआ
निकट संकटग्रस्त(Near Threatened)	कैराकल (विश्व स्तर पर: सबसे कम चिंतनीय)
कम चिंतनीय (Least Concern)	एडिबिल नेस्ट स्विफ्टलेट

- **लाभान्वित क्षेत्र:** इस योजना के लाभ में **718 संरक्षित क्षेत्र** और उनके संबंधित प्रभाव क्षेत्र, **33 हाथी रिज़र्व एवं 55 बाघ रिज़र्व शामिल** हैं।
- **तकनीकी हस्तक्षेप:**

- बाघों को देखे जाने, गतिविधियों और अन्य संबंधित विषयों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिये प्रोजेक्ट टाइगर द्वारा **M-STrIPES (बाघों की गहन सुरक्षा और पारिस्थितिकी स्थिति के लिये निगरानी प्रणाली)** मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग किया जाता है।
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI):** अखिल भारतीय **बाघ आकलन प्रक्रिया** में प्रजातियों के स्तर की पहचान के लिये AI का उपयोग शामिल है।
- **संरक्षण आनुवंशिकी अनुप्रयोग : बाघों की आनुवंशिक संरचना** के आधार पर उनके **स्थानांतरण** के लिये एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की गई है।
  - कम घनत्व वाले क्षेत्रों में बाघों की आबादी का आकलन करने और उनकी खाद्य पारिस्थितिकी का विश्लेषण करने के लिये आनुवंशिकी का भी उपयोग किया जाता है।

- **विशिष्ट पशुओं पर ध्यान केंद्रित करना:**
  - **प्रोजेक्ट डॉल्फिन:** डॉल्फिन परियोजना के अंर्तगत डॉल्फिन और उनके पर्यावासों की गणना करने के लिये **निष्क्रिय ध्वनिक निगरानी उपकरणों** और **दूर से संचालित वाहनों (ROV)** की सहायता से संचालित किया जाएगा।
  - **प्रोजेक्ट लायन**: प्रोजेक्ट लायन को "**लायन@2047: अमृत काल के लिये एक विज़न** " के दृष्टिकोण से सुदृढ़ किया जाएगा, जिसका उद्देश्य शेरों के साथ-साथ उनके पारिस्थितिक तंत्र के दीर्घकालिक संरक्षण को बढ़ावा देना है।
  - **प्रोजेक्ट चीता** : **प्रोजेक्ट टाइगर घटक भारत में महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चीता का भी समर्थन करता है। चीता कार्य योजना** के अनुसार चीतों को लाने के लिये क्षेत्रों का विस्तार किया जाएगा।
- **आजीविका सृजन:** यदि कार्यक्रम जारी रखा जाता है, तो यह अनुमान है कि संरक्षण प्रयासों में प्रत्यक्ष भागीदारी से 50 लाख से अधिक मानव-दिवस रोज़गार सृजित होंगे।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

??????????

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

1. "संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास" की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम, 2006 में समाविष्ट है।
2. भारत में पहली बार बैगा (जनजाति) को पर्यावास का अधिकार दिया गया है।
3. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के किसी भी भाग में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों के लिये पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से निर्णय लेता है तथा इसकी घोषणा करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/integrated-development-of-wildlife-habitats